

**महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान**  
**Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan**  
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. ऑ. जवसिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006

पत्र सं. 5-83/2015(शै) मसारावेविप्र/

दिनांक 12.07. 2021

कार्यालय स्मरण पत्र 1050

**विषय (1)** प्रतिष्ठान के वेद अध्यापकों के मानदेय बढ़ोत्तरी- रिफ्रेशर कोर्स, वेद सम्मेलन, कार्यशाला, सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण आदि में उपस्थिति के अनुपालन के सम्बन्ध में एवं  
**(2)** 01-4-2022 से मानदेय वृद्धि हेतु अनिवार्य आवश्यक योग्यता के विषय में पाठशाला योजना के सभी वेद अध्यापकों को सूचित करने हेतु

**संदर्भ-** (1) पाठशाला योजना के अन्तर्गत वेद अध्यापकों के मानदेय वृद्धि पर F. No. 3-14/2017-Skt.1, दिनांक 1. 10.2018 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आदेश -  
(2) प्रतिष्ठान के सचिव का आदेश फा.सं 5-83/2015 (शै) दिनांक 27-11-2015 एवं  
(3) प्रतिष्ठान के सचिव का आदेश पत्र सं.1-5/2016 (प्र. वि)/मसारावेविप्र /682, दिनांक 5.11.2018

1. प्रतिष्ठान का उद्देश्य है वेदों की श्रुति परम्परा (मौखिक परम्परा) का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार एवं प्रसार एवं अनुसन्धान। भारत सरकार द्वारा उद्देश्यों की सफलता हेतु अनुदान दिया जाता है। माननीय महासभा, शासी परिषद् वित्त समिति एवं अनुदान समिति ने वेदों की श्रुति परम्परा (मौखिक परम्परा) का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार एवं प्रसार आदि उद्देश्य की सफलता को निरीक्षण कर अनुदान जारी करने का निर्देश जारी किया है।
2. प्रतिष्ठान की सस्वर वेद संरक्षण (गुरुशिष्य इकाई) योजना तथा पाठशाला योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के मानदेय वृद्धि हेतु पत्र फाईल सं F. No. 3-14/2017-Skt.1 दिनांक 01. 10.2018 द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त है। दिनांक 1.10.2018 को जारी इस आधारभूत स्वीकृति पत्र में पाठशाला योजना के अन्तर्गत वेद अध्यापकों को 5 वर्षों से अधिक, तथा 10 वर्षों से अधिक वेद अध्यापन सेवा पर मानदेय वृद्धि का उल्लेख है। पाठशाला योजना से भिन्न सस्वर वेद संरक्षण (गुरुशिष्य इकाई) योजना के अन्तर्गत अध्यापन का वर्षों को पाठशाला में संयोजित गणना कर मानदेय वृद्धि का कोई प्रावधान 01.10.2018 के पत्र में नहीं। इस आधार पर, प्रतिष्ठान के सचिव द्वारा कार्यालय आदेश सं.1-5/2016 (प्र. वि)/मसारावेविप्र /682 दिनांक 5.11.2018 द्वारा अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि का निर्देश जारी कर दिया गया है।
3. इस आलोक में, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को अनुपालनार्थ यह स्मरण कराया जा रहा है कि पाठशाला योजना के अन्तर्गत वेद अध्यापकों को प्रदेय मानदेय वृद्धि (5 वर्षों से अधिक पाठशाला योजना के अन्तर्गत वेद अध्यापन सेवा पर, 10 वर्षों से अधिक पाठशाला योजना के अन्तर्गत वेद अध्यापन सेवा पर) हेतु प्रतिष्ठान द्वारा पाठशाला योजना में वित्तसहित संयोजन दिनांक को ही आधार मानकर गणना करना अनिवार्य है, एकरूपता पालन करना होगा तथा, प्रत्येक वेद अध्यापक का वित्तसहित पाठशाला योजना में संयोजन दिनांक के आधार को (मूल पत्र को) फाईल में संयोजित कर, जांचकर ही मानदेय वृद्धि फाईल को प्रस्तुत करना है।
4. जिस दिनांक से 5 वर्षों से अधिक पाठशाला योजना के अन्तर्गत वेद अध्यापन सेवा हेतु प्रथम मानदेय वृद्धि दी गई है, उस दिनांक से 5 वर्ष गणना कर ही, 10 वर्षों से अधिक पाठशाला योजना के अन्तर्गत वेद अध्यापन सेवा पर मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव रखना होगा।

  
1217



5. 4.9.2011 को संपन्न परियोजना समिति द्वारा तथा शासी परिषद् द्वारा रिफ्रेशर कोर्स की पालिसी वेद अध्यापकों के गुणवत्ता विकास के लिए स्वीकृत होकर जारी की गयी है। दिनांक 27-11-2015 को फा.सं 5-83/2015 (शै) पर प्रतिष्ठान सचिव द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है कि जिन अध्यापकों ने मानदेय वृद्धि का नियत दिनांक के (5 या 10 वर्ष सेवा तक) पूर्व में रिफ्रेशर कोर्स पूरा कर लिया है, उनकी मानदेय वृद्धि नियत दिनांक से होगी।
6. जिन अध्यापकों का मानदेय वृद्धिक्रम हो गया है, पुनश्चर्या पाठ्याक्रम नहीं हुआ है, मानदेय वृद्धि कीनियत दिनांक (5 या 10 वर्ष सेवा) के बाद में रिफ्रेशर कोर्स पूरा कर लेते हैं, उनकी मानदेय वृद्धि रिफ्रेशर कोर्स पूरा करने पर प्रदेय होगी।
7. 01-4-2022 से मानदेय वृद्धि की नियत दिनांक (5 या 10 वर्ष सेवा) के पूर्व में रिफ्रेशर कोर्स एवं अन्य योग्यता- (वेद सम्मेलन, सम्मेलन, 1 कार्यशाला एवं 1 सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण आदि) को पूरा कर लेने पर ही मानदेय वृद्धि नियत दिनांक से होगी।
8. नियत दिनांक से पूर्व रिफ्रेशर कोर्स एवं अन्य योग्यता (1 कार्यशाला एवं 1 सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण आदि) पूर्ण न होने की स्थिति में, जिस दिनांक से रिफ्रेशर कोर्स एवं अन्य सभी योग्यता पूर्ण करेंगे, उसके अगले महीने से मानदेय वृद्धि होगी। इस स्थिति में पूर्वान्वय दिनांक से मानदेय वृद्धि नहीं होगी। माननीय महासभा एवं शासी परिषद् द्वारा गुणवत्ता हेतु निर्दिष्ट वेदों की श्रुति परम्परा (मौखिक परम्परा) का संरक्षण हेतु कण्ठस्थीकरण आदि शर्त लागू होंगे।
9. 5 वर्षों से अधिक या 10 वर्षों से अधिक पाठशाला में सेवा पर मानदेय वृद्धि के लिए 1-4-2022 दिनांक से जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उन आवेदकों को 5 तथा 10 वर्षों के लिए अलग-अलग से प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया हुआ होना अनिवार्य रहेगा। माननीय महासभा एवं शासी परिषद् द्वारा गुणवत्ता हेतु निर्दिष्ट वेदों की श्रुति परम्परा (मौखिक परम्परा) का संरक्षण हेतु संपूर्ण वेद संहिता कण्ठस्थीकरण आदि शर्त लागू होंगे।
10. 1-4-2022 दिनांक से 5 वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों से अधिक पाठशाला में सेवा पर मानदेय वृद्धि के लिए जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उन आवेदकों को प्रत्येक 5 वर्ष में 1 अखिल भारतीय वेद सम्मेलन में, 1 क्षेत्रीय वेद सम्मेलन में तथा 1 कार्यशाला में 1 सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लिया हुआ होना अनिवार्य रहेगा। प्रतिष्ठान से आयोजित रिफ्रेशर कोर्स, वेद सम्मेलन, कार्यशाला आदि आनलाईन या आफ-लाईन कार्यक्रम को गुणवत्ता के दृष्टि से समान मान लिया गया है।
11. समय समय पर प्रतिष्ठान की वेब-साइट- देखकर, रिफ्रेशर कोर्स, वेद सम्मेलन, कार्यशाला, सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण आदि की सूचना प्राप्त कर, भाग लेने के लिये प्रत्येक अध्यापक ध्यान रखें। आवश्यक योग्यता को नियत तिथि में पूर्ण करने की जिम्मेदारी स्वयं अध्यापक की है।
12. 1-4-2022 दिनांक से 5 वर्षों से अधिक अथवा 10 वर्षों से अधिक पाठशाला में सेवा पर मानदेय वृद्धि के लिए जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उस पाठशाला में उस अध्यापक के अध्यापन उत्तरदायित्व में, प्रत्येक 5 वर्ष में तृतीय से पञ्चम वर्ष उत्तीर्ण छात्र संख्या न्यूनतम 5 आवश्यक है, तथा उस 6-10 वर्ष अवधि में सप्तम वर्ष उत्तीर्ण छात्र संख्या न्यूनतम 5 आवश्यक है। उपर्युक्त बिन्दुओं को कोष्ठक में स्पष्टता हेतु दर्शाया गया है।

पाठशाला योजना में सेवा वर्ष	रिफ्रेशर कोर्स	गुणवत्ता का मापदण्ड वेद सम्मेलन में आवश्यक न्यूनतम प्रतिभागिता आदि	न्यूनतम छात्र उत्तीर्ण संख्या, उस अध्यापक के उत्तरदायित्व	मानदेय वृद्धि (वर्तमान में)
5 वर्षों से अधिक, या उस के बाद यथा शीघ्र।	एक	1 अखिल भारतीय वेद सम्मेलन 1 क्षेत्रीय वेद सम्मेलन 1 कार्यशाला	तृतीय से पञ्चम वर्ष उत्तीर्ण न्यूनतम छात्र 5 हो	रु. 22,000/- प्रतिमाह से रु.30,000/- प्रतिमाह

दिनांक  
12/12

		1 सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण		
--	--	--	--	--


इन सब के आधार पर 5 वर्षों से अधिक सेवा पर मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव होगा।

10 वर्ष से अधिक, या उस के बाद यथा शीघ्र।	एक (पूर्व से अतिरिक्त)	1 अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, (पूर्व से अतिरिक्त) 1 क्षेत्रीय वेद सम्मेलन (पूर्व से अतिरिक्त) 1 कार्यशाला (पूर्व से अतिरिक्त), 1 सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण (पूर्व से अतिरिक्त)	सप्तम वर्ष उत्तीर्ण छात्र संख्या न्यूनतम 5 हो	रू.30,000/- प्रतिमाह से रू.34,000 प्रतिमाह
--	------------------------	--	---	---

इन सब के आधार पर 10 वर्षों से अधिक सेवा पर मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव होगा।

13. 1 या 2 रिफ्रेशर कोर्स, पाठशाला योजना में 5 / 10 वर्ष अनुभव, 1 कार्यशाला, 1 सस्वर वेद विकृति पाठ कौशल विकास प्रशिक्षण, सम्मेलन आदि, सभी संलग्न पत्र सही पाये जाने पर आवेदन प्राप्ति दिनांक से 90 दिनों के भीतर मानदेय वृद्धि की स्वीकृति देनी होगी। अस्वीकृत होने पर वेद अध्यापक की पाठशाला को कारण सहित सूचित करना होगा।

माननीय महासभा एवं शासी परिषद् द्वारा श्रुति परम्परा (मौखिक परम्परा) का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार एवं प्रसार में गुणवत्ता हेतु निर्दिष्ट सभी निर्देश जैसे वेद का कण्ठस्थीकरण, सस्वर उच्चारण, शुद्ध सस्वर पाठ आदि सभी शर्त मानदेय वृद्धि के विषय में लागू होंगे।

  
 (प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)  
 सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
3. कार्यालय आदेश नस्ती।
4. प्रतिष्ठान वेब साईट में प्रकाशन हेतु एवं पाठशाला योजना के सभी वेद अध्यापकों के मानदेय वृद्धि के विषय में अनुपालनार्थ- समस्त पाठशालाओं को ई-मेल में भेजें एवं सूचित करें।

